

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

पटना, दिनांक-18-07-2013

एस ओ संख्या..... रा. चूकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम.....तारापुर.....
थाना नं० 196 परगना लखनपुर थाना तारापुर जिला मुंगेर
में सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात्.....कॉवरिया पथ निर्माण हेतु भू-अर्जन.....
के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि
उपर्युक्त योजना के लिए पूर्वोक्त ग्राम.....तारापुर.....थाना नं० 196.....के भीतर कमी नैस बीघा 2.....
कट्टा 19.....छटांक 8.....धूर का जो मानक माप से 2.23 एकड़ के बराबर होता है एक भूखंड अपेक्षित है
जिसमें 0.14 मकान+2.09=2.23 एकड़ भूमि कृषि योग्य एवं X एकड़ बंजर भूमि है, जिसका खेसरा संख्या
385,392,393,394,396,397,399,400,405,406,556,561,568,569,576,577,579,580,581,692,693,694,695,735,
736,741,742,743,744,745,765,768,769,770,772,773,774,775,777,778,779,780,781,782,796,797,

इस भू खण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- सिवाना मौजा-गोगाचक

दक्षिण :- सिवाना मौजा-काजीचक

पूरव :- खेसरा सं०-385,389,392,393,394,396,400,405,406,556,559,561,566,569,576,578,579,580,581,783,
796,797 का अंश एवं 741,742,743,744,745,775,777,779,780,781 पूर्ण।

पश्चिम :- 385,389,392,393,394,396,400,405,406,556,561,566,569,576,577,692,693,735,736,741,742,743,744,
745,765,768,770,772,773,774,778,779,780,781,782,786,797 का अंश।

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11,1961, द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के
अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर और उनके स्टाफ तथा इस परिचयन के आरंभिक अनुसंधान में
तत्समय लगे.....कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल,.....बाँका.....के पदाधिकारियों और
स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि ये भूमि पर प्रवेश कर उनका सवेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा
(2) में यथावस्थित या यथाविनिर्दिष्ट अपने कार्य समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें,

और चूकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य /आवासीय 2.23 एकड़ है तथा
उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इस लिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया
जात है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सचिका संख्या.....)

समाहर्ता,
मुंगेर।

21/7/13

ज्ञापांक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 मुंगेर (का0 प0)- 01/2013 - 1832/रा०

दि०-18-07-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुंगेर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

SW
17/7/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

①